देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/MMP/06/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

सोमवार, 3 जून 2019

Part –2

जवाब दीजिये जे.डी.सी. महोदय!!

आवासीय भूखंड संख्या 1-ए,सेक्टर 2 गांधी पथ,चित्रकूट में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों(शराब की दूकान) को प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा बंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा??

मंत्री के आदेशों के बावजूद प्रवर्तन का पुराना ढर्रा

यूडीएच मंत्री श्री शांति धारीवाल द्वारा जे.डी.ए. की प्रवर्तन शाखा की कार्यशैली पर सवाल उठाये अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और प्रवर्तन विभाग अपने पुराने ढर्रे पर आ गया है|ख़ास बात यह है कि जिस ज़ोन-7 को लेकर मंत्री शांति धारीवाल और लालचंद कटारिया ने यह सारी कवायद की थी जिसके चलते जे.डी.ए. अधिकारियों को घर पर बुलाकर डांट लगाई थी, समान रूप से कार्यवाही,न्याय और पारदर्शिता के लम्बे लम्बे पाठ पढाये थे और जे.डी.ए. द्वारा तुरत फुरत कार्यवाही करते हुए ज़ोन-7 के प्रवर्तन अधिकारी श्री मुकेश कुमार को हटा कर,विभाग के तेज तर्रार प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा को इस जोन की कमान सौपनी पड़ी थी,उसी ज़ोन-7 में फिर एक बार अवैध निर्माण,बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियाँ की वापस बाढ़ आ गयी है|प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा द्वारा शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए पुनः पिक एंड चूज की निति अपनाई जा रही है|

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में गांधी पथ,चित्रकूट सेक्टर 2 में भूखंड संख्या 1-ए में चलती शराब की दूकान

बिना अनुमति आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों का है मामला|

ऐसा ही एक मामले में,भूखंड संख्या 1-ऐ,सेक्टर-2,गाँधी पथ,चित्रकूट पर बिना अनुमति आवासीय भूखंड पर शराब की दूकान लगा कर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है|जिसका मुद्दा प्रमुखता से उठाने पर,तत्कालीन ज़ोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस अतिक्रमण को चिन्हीकरण रिपोर्ट के लिए उपायुक्त ज़ोन-7 के कार्यालय में भिजवाया गया था|जहाँ से बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधि की पुष्टि होने के बावजूद प्रवर्तन अधिकारी पिछले एक महीने से इस पत्रावली को दबाये बैठे है|

प्रकरण की प्रथम रिपोर्ट

क्रमांक	दिनांक	ब्यौरा
1.	01/04/2019	रसूखदार भूखंड मालिक ने खाली आवासीय भूखंड संख्या 1-ऐ,सेक्टर-२,गाँधी पथ,चित्रकूट पर रातों रात दूकान बना कर,एक बड़े और प्रभावशाली शराब ठेकेदार को यह दूकान अंग्रेजी शराब के संचालन के लिए दे दी|
2.	08/04/2019	स्थानीय लोगो के विरोध के चलते,इस अवैध रूप से संचालित शराब की दूकान की शिकायत हमारे द्वारा जे.डी.ए. के सभी उच्च अधिकारियों को की गयी|
3.	11/04/2019	तत्कालीन ज़ोन प्रवर्तन अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा मौक़ा देखा गया और प्रकरण में किये गये अतिक्रमण की चिन्हीकरण रिपोर्ट के लिए पत्रावली उपायुक्त ज़ोन –7 कार्यालय में भिजवाई गयी|
4.	22/04/2019	ज़ोन के जे.ई.एन. श्री सुरेश तंवर द्वारा मौक़ा निरिक्षण की रिपोर्ट दी गयी जिसमे बताया गया कि मौके पर शराब की दूकान संचालित है|जिसका नक्शा भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया|
5.	26/04/2019	जोंन के ATP श्री किशन कांडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त भूखंड में व्यावसायिक की स्वीकृति जे.डी.ए. द्वारा जारी नहीं की गयी है|प्रकरण बिना स्वीकृति व्यावसायिक उपयोग का है|EO-7 नियमानुसार कार्यवाही करें|
6.	31/05/2019	श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा से व्यक्तिगत मिलने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में श्रीमान जे.डी.सी. महोदय को निर्णय लेना है|परन्तु सुचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों में अंतिम नोटिंग के अनुसार इस पत्रावली पर अंतिम बार 26/4/2019 को की गयी थी,को किसी अधिकारी के पास नहीं भेजा गया है,यह श्री सुरेन्द्र सिंह के पास ही पेंडिंग है|जिससे प्रतीत होता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा जानबूझ कर,अपने कार्यकरण में शिथिलता बरतते हुए,इस मामले को टाला जा रहा है|

नोटशीट की प्रतिलिपि

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

1. विषयः– भू.सं–2/1–ए, सेक्टर–2, चित्रकुट ,गॉधी पथ वैशाली नगर पर आवासीय भूखण्ड पर खोली गई शराब की दुकान को बंद करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा भू.सं–2/1–ए, सेक्टर–2, चित्रकुट ,गॉधी पथ वैशाली नगर पर आवासीय भूखण्ड पर खोली गई शराब की दुकान को बंद करवाने बाबत शिकायत प्रस्तुत किया जो पत्रावली के पृष्ठ सं– 1/सी से 4/सी पर अवलोकनीय है।

2. प्रकरण में किये गये अतिक्रमण की चिन्हीकरण रिपोर्ट निर्धारित प्रफोर्मा मे प्राप्त करने हेतु उपायुक्त जोन–07 के कार्यालय में पदस्थापित एटीपी व जेईन की संयुक्त टीम द्वारा मौका रिपोर्ट निर्धारित प्रफोर्मा में प्राप्त करने हेतु पत्रावली उपायुक्त जोन–07 को भिजवाये जाने हेतु सादर प्रस्तुत है।

मुकेश कुमार
प्रवर्तन अधिकारी जोन–07

3. उप नियंत्रक प्रवर्तन–तृतीय–/–

Sir, The file may be sent to zone for demolition as the wine shops are sanctioned and approved by the excise dept.

11/4/19

CCE-P-303
11/04/19

4 CCE fis
12/4/19

5 DC/07
16/4/19

DC-Z12-958
16/4/19

6 ATP/JEN

9:20 [illegible] में [illegible] स्वीकृति ली गई है या नहीं अवगत करावें।
18/4

D/A

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी प्रमाणित प्रति
प्रवर्तन अधिकारी
ज. वि. प्रा., जयपुर

E0-7R-236
11/04/19

ज.वि.प्रा.–सा. स्टोर–2018

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

7 पत्रा 6/N के क्रम में मुरब्बा सं. 2/1-A लीज डीड की मूल दस्तावेज संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है अवलोकनार्थ

22/4/19

8 A.T.P

7 मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर सराफ की दुकान संचालित है। व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। [illegible] के व्यवसायिक की स्वीकृति J.D.A द्वारा जारी नहीं की गई है। प्रकरण में बिना स्वीकृति व्यवसायिक उपयोग बाबत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु E-O-7 को भिजवाने हेतु प्रस्तुत है।

26/4

D-E-7

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर

A-7/R-958 26/4/19

EO-7R-236 01/5/19

ज.वि.प्रा.-शा. स्टोर-2018

EO-7

कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

नोटशीट की प्रतिलिपि

विषय :- जोन-07 स्थित आवासीय भू.सं. 2/1-A चित्रकूट गाँधी पथ, वैशाली नगर में संचालित की जा रही शराब की दुकान को बंद करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मौका निरीक्षण किया गया, मौके पर शराब कि दुकान संचालित है नजरिया नक्शा निम्न प्रकार है।

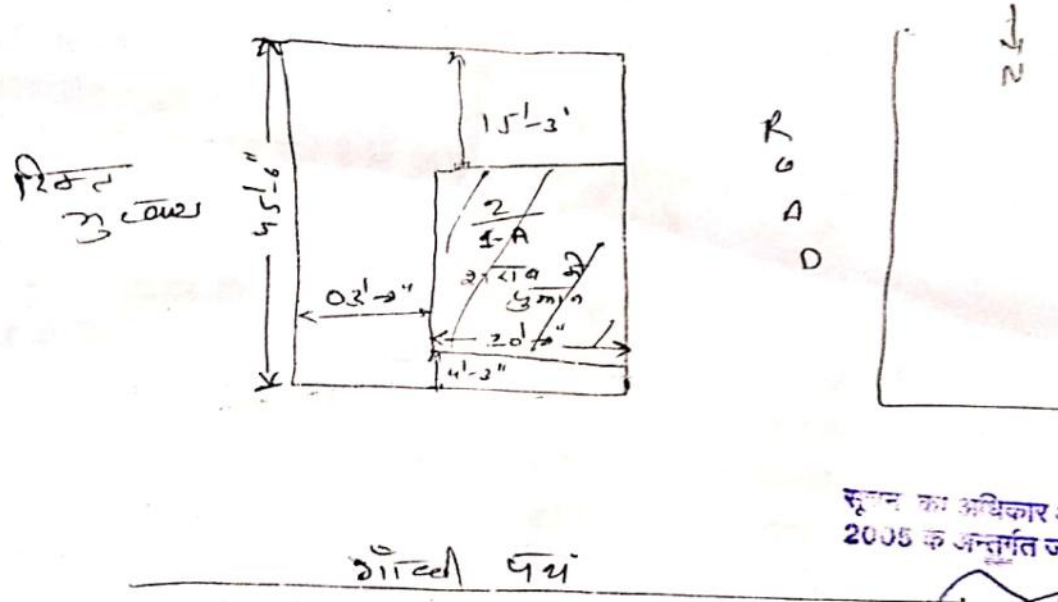

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी प्रमाणित
प्रवर्तन अधि
ज. वि. प्रा., ज

अवलोकनार्थ प्रस्तुत है

A/L

Sd/- 22/04/17

अन्य पत्रावली पर सूचना चाही गई है उसके साथ लगाकरें

22/5

D-A

ज.वि.प्रा.-रा. स्टोर-2018

प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा को जे.डी.ए.एक्ट की धारा 32,33 के तहत नोटिस देने के लिए भी क्या जे.डी.सी. महोदय श्री टी.रविकांत से अनुमति लेनी होगी??

ज़ोन से चिन्हीकरण की रिपोर्ट आने के बाद प्रवर्तन अधिकारी को अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए अवैध निर्माणकर्ता को धारा 32,33 के तहत नोटिस देना होता है|यदि फिर भी अवैध निर्माणकर्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती और कार्य बदस्तूर जारी रखा जाता है तो धारा 34A के तहत सील करने के लिए जे.डी.ए. आयुक्त की अनुमति लेनी होती है|परन्तु यहाँ तो प्रवर्तन अधिकारी को अवैध निर्माण की चिन्हीकरण की रिपोर्ट मिले एक महीने से अधिक हो गया पर अभी तक उनके द्वारा अवैध निर्माणकर्ता को धारा 32 के तहत नोटिस जारी नहीं किये,सील पता नहीं कब करेंगे??प्रवर्तन अधिकारी के इस ढुलमुल रवैये से निश्चित रूप से प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते है|

जैसी हालत थानों में फरियादियों की,वही हालत जे.डी.ए. में शिकायतकर्ताओं की|

जे.डी.ए. में एक अरसे बाद प्रवर्तन शाखा के सभी पद भरे हुए है फिर भी प्रवर्तन के काम में कोई तेजी नहीं है,हालत यह है कि शिकायतकर्ताओं को शिकायत करने में एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है,फिर भी किसी शिकायत पर कोई हलचल होने में महीनो लग जाते है,यहाँ तैनात पुलिसकर्मी शिकायतकर्ताओं से वही सलूक करते है जो वो थानों में फरियादियों से करते है|चलो माना कि थानों में पुलिस को कई धाराओं में काम करना पड़ता है परन्तु जे.डी.ए. में केवल 4 धाराओं में काम करना होता है और उसे करने में भी इतनी लालफीताशाही?

प्रवर्तन अधिकारी बना रहे है नित नये बहाने

श्री सुरेन्द्र सिंह इस पूरे मामले में लगातार टाल मटोली कर रहे है पहले कहते रहे कि दुबारा मौक़ा देखने जाउंगा,फिर कहने लगे कि फाईल एस.पी. मेडम के पास है,फिर कहने लगे कि उपर से दुसरे अवैध निर्माणों को हटाने के आदेश है, पहले उन पर कार्यवाही करके फिर इसे नोटिस दूंगा,अब कह रहे है कि आयुक्त महोदय बिना अनुमति आवासीय भवनों में चलने वाली शराब की दुकानों को बंद करने के लिए पालिसी बना रहे है|आखिर वह चाहते क्या है समझ से परे है|

जे.डी.सी. साहब बताइये कब होगा न्याय??

जिस प्रकार पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की लचर हालत हो रखी है वही हालत प्रवर्तन शाखा में तैनात पुलिस अधिकारियों ने जे.डी.ए. की कर रखी है,जिसे देखकर तो अब हर शिकायतकर्ता के मुँह से यही निकलता है कि कब होगा न्याय?

राज्य सरकार ने दे रखे है लापरवाह अधिकारियों की ACR ख़राब करने के निर्देश

राज्य सरकार के 27/09/2012 के एक आदेश के अनुसार जिस किसी भी प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल के दौरान अवैध निर्माण/अतिक्रमण या बिना अनुमति आवासीय भूखंड में व्यावसायिक गतिविधियाँ पाई जाती है तो उस अधिकारी की ACR में नकारात्मक टिप्पणी किये जाने के निर्देश दिए गए है|

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.12(1)नविवि / 07 / पार्ट जयपुर, दिनांकः 27 SEP 2012

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर।

विषयः–माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा सुओमोटो डी.बी. सिविल रिट पिटिशन्स नं. 4783 / 2003, 513 / 2004, 21 / 2004 एवं 7307 / 2003 में दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 को पारित किये गये आदेश की अनुपालना हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 4783 / 2003 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य, 513 / 2004 सुओमोटो बनाम महानिदेशक पुलिस एवं अन्य, 21 / 2004 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 7307 / 2003 महेन्द्र पाल सिंह बनाम जयपुर नगर निगम, जो कि जयपुर शहर के नागरिकों को अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए जन सुविधाऐं प्रदान करने से सम्बन्धित थी, में दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 को पारित किये गये आदेश में अन्य निर्देशों के साथ–साथ बिन्दु संख्या 9 के उप बिन्दु 9 में निम्न निर्देश भी पालना हेतु दिये गये थे :–

In case an unauthorized construction or encroachment takes place and illegal housing colony or commercial enterprise is set up, in an area falling under the jurisdiction of the Jaipur Development Authority, the Jaipur Municipal Corporation or the Rajasthan Housing Board the concerned Enforcement Officer / Inspector / Deputy Commissioner / Zonal Officer shall be responsible. In the ACR of the defaulting Officer specific entry shall be made to the effect that during his posting in the area unauthorized construction or encroachment took place or an illegal colony was set up or an illegal commercial enterprise was established in a residential area or an area which was not meant for commercial activity. This entry shall be treated as an adverse entry and shall be kept in view at the time of considering the case of the officer for promotion or selection. That apart, the Appointing Authority shall initiate departmental action against him. Members of the Monitoring Committee and the Appointing Authority of the officer shall be duty-bound to move an application for initition of proceedings for contempt of court against the defaulting officer

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर निगम, जयपुर के अधिकारीगण द्वारा गंभीर प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। यह स्थिति अत्यन्त ही गंभीर एवं सोचनीय है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2004 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि पारित निर्णय के बिन्दु संख्या 9 के उप बिन्दु 9 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

जयपुर नगर निगम / जयपुर विकास प्राधिकरण / राजस्थान आवासन मण्डल में प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षक / उपायुक्त / जोनल अधिकारियों के पद पर पदस्थापित अधिकारियों के कार्यकाल में हुए अवैध निर्माण एवं अनियमितताओं के संबंध में प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारियों द्वारा उनके कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित करनें की तत्काल कार्यवाही करायी जाकर 15 दिवस में की गयी कार्यवाही एवं प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

राज्य सरकार का आदेश,जिसमे सम्बंधित प्रवर्तन अधिकारी की ACR में नकारात्मक टिप्पणी करने के आदेश दिए है|

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही करना आबकारी विभाग की नहीं बल्कि सम्बंधित नगरीय निकाय की जिम्मेदार|

प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह का एक अजीब तर्क यह भी है कि शराब की दूकान बंद करवाना जे.डी.ए. का काम नहीं है, उनके अनुसार जब यह शराब की दूकान आबकारी विभाग से स्वीकृत है तो उसके द्वारा ही इसे बंद किया जाना चाहिए|श्री सुरेन्द्र सिंह का मुगालता दूर करने के लिए जब इस दूकान की शिकायत आबकारी विभाग से भी की गयी तो अपने उत्तर में आबकारी विभाग ने अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया और बताया कि उनके द्वारा शराब की दूकान का लाईसेंस आबकारी नियम 75 के अनुरूप दिया जाता है,अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करना उनकी नहीं वरन नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है|

आबकारी विभाग के इस उत्तर के बाद शायद अब सुरेन्द्र सिंह कोई नया बहाना बनाने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे है|

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त दक्षिण, जयपुर शहर

क्रमांक :- 12?

दिनांक :- 1?.04.2019

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर।

विषय :- राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत (परिवाद संख्या 041902754277771 दिनांक 11.04.2019) की जांच के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- श्रीमान का पत्रांक आब/परिवाद/2019-20/677 दिनांक 18.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि शिकायत में अंकित स्थल जोन नं. 06 अनुज्ञाधारी मैसर्स कुसुम भण्डारी सरिता राजवंशी 2/1 ए, सैक्टर 02, चित्रकूट योजना वैशाली नगर, जयपुर का है। परिवाद में परितोष के रूप में दुकान स्थानान्तरण किये जाने का निवेदन है जिसका आधार आवासीय भूखण्ड व्यवसायिक गतिविधि संचालित करना है। यह कार्यवाही स्थानीय नगर निकाय स्तर से की जानी है जैसा कि परिवादी ने शिकायत के पेज नं. 02 पर जे.डी.ए. जोन 07 का सन्दर्भ देकर किया है। उक्त दुकान राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार है।

अवैध निर्माण के सम्बन्ध में आबकारी विभाग का पत्र

भवदीय

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त दक्षिण, जयपुर शहर